

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 48

परिवार कल्याण विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट, 2002-2003			संशोधित, 2002-2003			बजट, 2003-2004		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व पूंजी जोड़	4930.00	23.83	4953.83	4150.00	23.83	4173.83	4930.00	24.52	4954.52

	4930.00	23.83	4953.83	4150.00	23.83	4173.83	4930.00	24.52	4954.52
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं परिवार कल्याण	2251	...	3.35	3.35	...	3.41	3.41	...	3.52
2. निदेशन और प्रशासन	2211	6.00	4.25	10.25	9.98	4.27	14.25	6.45	4.35
	3601	164.00	...	164.00	160.02	...	160.02	180.07	...
	3602	10.00	...	10.00	2.72	...	2.72	11.00	...
जोड़-निदेशन और प्रशासन		180.00	4.25	184.25	172.72	4.27	176.99	197.52	4.35
परिवार कल्याण सेवाएं									
3. ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं	2211	4.09	...	4.09	3.64	...	3.64	4.53	...
	3601	1711.65	...	1711.65	1657.73	...	1657.73	1557.15	...
	3602	2.36	...	2.36	0.78	...	0.78	1.82	...
जोड़		1718.10	...	1718.10	1662.15	...	1662.15	1563.50	...
4. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	2211	0.42	...	0.42	0.42	...	0.42	0.46	...
	3601	101.60	...	101.60	109.38	...	109.38	110.51	...
	3602	7.78	...	7.78	8.53	...
जोड़		109.80	...	109.80	109.80	...	109.80	119.50	...
5. प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य परियोजना	2211	571.53	...	571.53	298.04	...	298.04	448.87	...
	3601	225.00	...	225.00	143.50	...	143.50	261.39	...
	3602	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	2.15	...
जोड़		800.53	...	800.53	445.54	...	445.54	712.41	...
6. टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना तथा पोलियो का उन्मूलन	2211	157.84	...	157.84	155.60	...	155.60	185.45	...
	3601	434.00	...	434.00	298.50	...	298.50	507.25	...
	3602	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	9.30	...
जोड़		597.84	...	597.84	460.10	...	460.10	702.00	...
7. मातृत्व लाभ योजना जोड़-परिवार कल्याण सेवाएं	2211	81.00	...	81.00	65.00	...	65.00	67.50	...
		3307.27	...	3307.27	2742.59	...	2742.59	3164.91	...
8. परिवहन	2211	0.40	0.33	0.73	0.20	0.23	0.43	0.30	0.24
	3601	100.90	...	100.90	101.10	...	101.10	48.80	...
	3602	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40	...
जोड़-परिवहन		101.70	0.33	102.03	101.70	0.23	101.93	49.50	0.24
9. मुआवजा	2211	4.00	...	4.00	4.20	...	4.20	4.20	...
	3601	134.00	...	134.00	150.69	...	150.69	172.96	...
	3602	6.00	...	6.00	0.48	...	0.48	7.30	...
जोड़-मुआवजा		144.00	...	144.00	155.37	...	155.37	184.46	...
शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान									
10. सूचना, शिक्षा और संचार	2211	50.33	2.25	52.58	48.61	2.38	50.99	95.59	2.40
	3601
	3602
जोड़		50.33	2.25	52.58	48.61	2.38	50.99	95.59	2.40
11. प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन	2211	39.16	13.65	52.81	37.81	13.54	51.35	46.98	14.01
	3601	81.49	...	81.49	76.73	...	76.73	95.41	...
	3602	0.60	...	0.60	0.16	...	0.16	0.53	...
जोड़		121.25	13.65	134.90	114.70	13.54	128.24	142.92	14.01
जोड़-शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान		171.58	15.90	187.48	163.31	15.92	179.23	238.51	16.41
12. अन्य सेवाएं और आपूर्ति									
12.01 परम्परागत गर्भ-निरोधकों का निःशुल्क वितरण	2211	0.45	...	0.45	0.43	...	0.43	0.75	...
	3601	174.83	...	174.83	174.55	...	174.55	162.30	...
	3602	6.52	...	6.52	5.02	...	5.02	5.85	...
जोड़		181.80	...	181.80	180.00	...	180.00	168.90	...

मुख्य शीर्ष	बजट, 2002-2003			संशोधित, 2002-2003			बजट, 2003-2004			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	(करोड़ रुपए)									
12.02 वाणिज्यिक वितरण	2211	112.50	...	112.50	102.00	...	102.00	118.80	...	118.80
12.03 संभारतंत्र सुधार	2211	9.00	...	9.00	2.00	...	2.00	0.90	...	0.90
12.04 क्षेत्र परियोजनाएं	2211	42.70	...	42.70	33.95	...	33.95	60.22	...	60.22
	3601	32.10	...	32.10	25.05	...	25.05	6.28	...	6.28
	जोड़	74.80	...	74.80	59.00	...	59.00	66.50	...	66.50
12.05 बंधीकरण विस्तर	3601	1.74	...	1.74	1.74	...	1.74	1.92	...	1.92
	3602	0.06	...	0.06	0.05	...	0.05
	जोड़	1.80	...	1.80	1.74	...	1.74	1.97	...	1.97
12.06 अन्तर्राष्ट्रीय योगदान	2211	1.70	...	1.70	1.80	...	1.80	1.70	...	1.70
12.07 स्कैलपेल रहित वैसेक्टॉमी	2211	3.15	...	3.15	1.50	...	1.50	2.25	...	2.25
12.08 अन्य योजनाएं	2211	1.50	...	1.50	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00
12.09 नए उपक्रम-राष्ट्रीय जनसंख्या नीति	2211	170.80	...	170.80	10.50	...	10.50	200.08	...	200.08
12.10 उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन सेवा परियोजना का नवीकरण	2211	59.40	...	59.40	40.27	...	40.27	40.00	...	40.00
13. उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	2552	409.00	...	409.00	415.00	...	415.00	493.00	...	493.00
जोड़-अन्य सेवाएं और आपूर्तियां		1025.45	...	1025.45	814.31	...	814.31	1095.10	...	1095.10
14. सहायता सामग्री और उपस्कर-सकल	3606	...	130.00	130.00	...	50.00	50.00	170.00	...	170.00
घटाइए-कार्यात्मक मुख्य शीर्षों में अन्तरण	3606	...	-130.00	-130.00	...	-50.00	-50.00	-170.00	...	-170.00
सहायता सामग्री और उपस्कर	निवल
कुल-जोड़		4930.00	23.83	4953.83	4150.00	23.83	4173.83	4930.00	24.52	4954.52
ग. आयोजना परिव्यय*	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. परिवार कल्याण	22211	4521.00	...	4521.00	3735.00	...	3735.00	4437.00	...	4437.00
2. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251
3. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	409.00	...	409.00	415.00	...	415.00	493.00	...	493.00
	जोड़	4930.00	...	4930.00	4150.00	...	4150.00	4930.00	...	4930.00
*इसमें निर्माण कार्य परिव्यय शामिल है।										
मांग संख्या 99

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में वर्ष 2010 तक प्रजनन की प्रतिस्थापन दर और वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण को हासिल करने की परिकल्पना की गई है। ये लक्ष्य गर्भ-निरोधक की पूरी न की गई जरूरतों को पूरा करके, टीकाकरण के तहत गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और बच्चों को सार्वभौमिक तौर पर शामिल करके तथा संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसवों के अनुपात में सुधार लाकर हासिल किए जाने हैं।

इस कार्यक्रम के अधीन कार्यान्वित कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों तथा उनके लिए प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं:** इसमें परिवार कल्याण विभाग के लिए प्रावधान शामिल है।

2. **निदेशन और प्रशासन:** परिवार कल्याण विभाग का तकनीकी स्कन्ध परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित तकनीकी पहलुओं के सम्बन्ध में प्रशासनिक और नीति विषयक मार्गदर्शन प्रदान करता है और मुख्यालय में आयोजना, परिवीक्षण, समन्वय और प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के बीच गतिविधियों का समन्वय करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक परिवार कल्याण एकक की स्वीकृति दी गई है। राज्य और जिला परिवार कल्याण ब्यूरो राज्य स्तर पर परिवार कल्याण संगठन के एक भाग के रूप में विद्यमान है। वर्ष 2003-2004 के.ब.अ. में 220.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए 22.68 करोड़ रुपए की राशि 'उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था' के अन्तर्गत अलग से दर्शाई गई है।

3. **ग्रामीण उप-केन्द्र:** निचले स्तर पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रति 5000 ग्रामीण जनसंख्या (जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 जनसंख्या) के लिए उप-केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये उप-केन्द्र ग्रामीण लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करते हैं। सभी उप-केन्द्र (1,37,311) दिनांक 1.4.2002 से परिवार कल्याण विभाग द्वारा वित्तपोषित किए जा रहे हैं। ब.अ. 2003-2004 में 1758.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें से 195.00 करोड़ रुपए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं।

4. **शहरी परिवार कल्याण सेवाएं:** शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण तथा प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए देश में शहरी परिवार कल्याण केन्द्र मंजूर किए गए हैं। शहरों की मलिन बस्तियों में सेवा वितरण पद्धति में सुधार करने की दृष्टि से शहरी नवीकरण योजनाएं शुरु की गई हैं। शहरी परिवार कल्याण सेवाओं के नवीकरण की योजना में मौजूदा शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों के पुनर्गठन पर विचार किया गया है। वर्तमान में 1083 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र और 871 स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2003-2004 के दौरान इन सेवाओं के लिए 132.80 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यवस्थित 13.30 करोड़ रुपए की राशि 'उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था' के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

5. **प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) कार्यक्रम:** सीएसएसएम कार्यक्रम में की जा रही गतिविधियों को मजबूत बनाने तथा विस्तृत करने के अलावा, इस

कार्यक्रम का उद्देश्य परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं को मजबूत बनाना तथा उन्हें नई दिशा प्रदान करना है। सेवाओं को इस पैकेज को व्यापक बनाकर इसमें नैदानिक, जननांग संक्रमण/यौन संचारी संक्रमणों का प्रबंध भी शामिल कर दिया गया है।

इस परियोजना के लिए ब.अ. 2003-2004 में 791.30 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव है जिसमें 78.89 करोड़ रुपए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में खर्च किए जाने का प्रस्ताव है जिसे 'उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए एकमुश्त प्रावधान' में शामिल किया गया है।

6. टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ करना तथा पोलियो का उन्मूलन: चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष 2003-2004 के लिए 780.00 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। इसमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए 78.00 करोड़ रुपए शामिल हैं तथा जिसे 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त प्रावधान' के अलग बजट शीर्ष में शामिल किया गया है।

7. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना: इस योजना के लिए वर्ष 2003-2004 के दौरान 75.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से 7.50 करोड़ रुपए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गए हैं।

8. परिवहन: इस तथ्य को मानते हुए कि गतिशीलता प्रभावी पर्यवेक्षण और सीमा से बाहर सेवा सुपुर्दगी प्रणाली प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भारत सरकार द्वारा राज्यों को विभिन्न स्तरों पर वाहन प्रदान किए गए हैं। इन वाहनों के अनुरक्षण के लिए सहायता दी जाती है। प्रारंभिक स्तर पर गतिशीलता को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में ए.एन.एम. को मोपेड प्रदान की जा रही है। वर्ष 2003-2004 के ब.अ. में 55.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यवस्थित 5.50 करोड़ रुपए की राशि 'को अलग से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

9. क्षतिपूर्ति: बंध्य विधियों (बन्धीकरण) को अपनाने वालों को मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति तथा भोजन, मरहम पट्टी, दवाइयों परिवहन आदि की लागतों को पूरा करने के लिये वर्ष 2003-2004 के दौरान क्षतिपूर्ति हेतु 205.46 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है जिसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए निर्धारित 21.00 करोड़ रुपए को अलग से 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त प्रावधान' के तहत दर्शाया गया है।

10. सूचना, शिक्षा और संचार: सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों का कार्यान्वयन आर.सी.एच. तथा जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार करने के लिए राज्यों में गठित संबंधित जन शिक्षा एवं प्रचार माध्यमों तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रचार एककों द्वारा किया जाता है। इस योजना के लिए वर्ष 2003-2004 के ब.अ. में 106.38 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था में से 10.79 करोड़ रुपए, 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त व्यवस्था' के अन्तर्गत अलग से निर्धारित है।

11. प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं मूल्यांकन: परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता बहुत हद तक अर्हताप्राप्त प्रशिक्षित एवं शिक्षित कार्यकर्ताओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के इस स्वरूप को देखते हुए कि एक भी असन्तुष्ट ग्राही का कार्यक्रम पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयुक्त एवं पर्याप्त ढंग से प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता पर बल दिया ही जाना चाहिए। इसीलिए, कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्य को समुचित महत्व दिया जाता है। यह प्रशिक्षण विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों के नेटवर्क, ए.एन.एम. और एम.पी.डब्ल्यू प्रशिक्षण विद्यालयों के माध्यम से दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण और अनुसंधान क्रियाकलापों को करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, आदि जैसी सुव्यवस्थित संस्थाएं भी शामिल हैं। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2003-2004 के ब.अ. में प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन के लिए 158.87 करोड़ रुपए रखने की व्यवस्था की गई है जिसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए 15.95 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

12. अन्य सेवाएं और आपूर्तियां:

12.01 और 12.02 गर्भ निरोधकों का निःशुल्क और वाणिज्यिक वितरण: इस तथ्य को जानते हुए कि प्रजनन आयु सीमा में अधिकाधिक संख्या में युवा-युगल प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए बंधीकरण जैसी परिवार नियोजन की पद्धतियों को अपनाने की वकालत नहीं की जा सकती। युवा युगलों की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए स्वाने की गोलियां, निरोध, कापर-टी आदि जैसे परिवार नियोजन करने के विभिन्न गर्भ निरोधकों की पेशकश की गई है। अब तक सामाजिक विपणन कार्यक्रम पर जोरदार शहरी प्रवृत्ति है। इस कार्यक्रम के लाभों को गांवों, गन्दी बस्तियों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक पहुंचाने को ध्यान में रखते हुए तथा गर्भनिरोधकों, ओ.आर.एस. तथा सैनीटरी नैपकिन के उपयोग को बढ़ाने के लिए सामाजिक विपणन परियोजना आरंभ की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत, बेरोजगार युवाओं को जिनका सामाजिक विकास की ओर रुझान है और जिन्हें ग्रामीण समुदाय का ज्ञान है, को ब्लाक क्षेत्रीय कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा तथा गर्भनिरोधकों के वितरण और संवर्धन में लगाया जाएगा। वर्ष 2003-2004 के दौरान निःशुल्क और सामाजिक विपणन दोनों के अन्तर्गत गर्भ-निरोधकों की आपूर्ति हेतु कार्यक्रम के अन्तर्गत 320 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है, जिसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यवस्थित 32.30 करोड़ रुपए की राशि 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त व्यवस्था' के अन्तर्गत अलग से दर्शाई गई है।

12.03 संभार-तंत्र सुधार: यह योजना राज्यों में दवाओं, टीका-द्रव्यों, गर्भ-निरोधकों की प्राप्ति, भण्डारण और वितरण की संभरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए है। इस योजना के लिए ब.अ. 2003-04 में 1.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए निर्धारित 0.10 करोड़ रुपए की व्यवस्था 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त व्यवस्था' के अन्तर्गत अलग से दर्शाई गई है।

12.04 क्षेत्र विकास कार्यक्रम: भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है। यहां राज्यों के बीच सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मूल्य-पद्धतियों की दृष्टि से भिन्नता पाई जाती है और इसलिए सभी राज्यों के लिए एक समान आधारभूत संरचना का सुझाव नहीं दिया जा सकता। देश के पहचाने हुए कतिपय पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी सेवाएं करने की पद्धति में सुधार करना ताकि राष्ट्रीय औसत के समतुल्य उनका विकास जल्दी हो सके, क्षेत्रीय परियोजनाएं, विदेशी अभिकरणों से आंशिक सहायता द्वारा शुरु की गई है। इस योजना के अन्तर्गत, भवन, वाहन, प्रशिक्षण आदि के रूप में अतिरिक्त निविष्टियां प्रदान की जाती हैं। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2003-2004 के ब.अ. में 66.90 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस समूह के अन्तर्गत, 4.00 करोड़ रुपए के प्रावधान वाली सामाजिक विपणन क्षेत्र परियोजना की एक स्कीम शामिल की गई है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 0.40 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

12.05 बन्धीकरण विस्तर: इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार कार्य-निष्पादन के आधार पर योजना के तहत आरक्षित बिस्तरों के रखरखाव हेतु भुगतान के लिए अनुदान जारी किए जाते हैं। 2003-2004 के ब.अ. में 2.19 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें से 0.22 करोड़ रुपए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए है।

12.06 अन्तर्राष्ट्रीय अंशदान: इस योजना के अंतर्गत यूएनएफपीए, आईसीओएमपी, इत्यादि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों को अंशदान करने के लिए व्यवस्था की गई है।

12.07 'स्कैलपेल-रहित वैसेक्टॉमी': पुरुषों के लिए गर्भनिरोध हेतु सर्वाधिक कारगर तरीका है। ब.अ. 2003-2004 में 2.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

12.08 अन्य स्कीमें: वर्ष 2003-2004 के ब.अ. में 1.00 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है जो बैठकों/सम्मेलनों इत्यादि के लिए है।

12.09 नए उपाय और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति: जैसाकि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और नए उपायों में निहित है, सामुदायिक प्रोत्साहन योजना, परिवार

कल्याण से संबंध स्वास्थ्य बीमा योजना, सेवाओं का समामेलन अधिकार-सम्पन्न कार्यदल, अन्य उपाय, सीएनएए के जरिए एमआईएस को मजबूत बनाना, पीएनडीटी का कार्यान्वयन राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष इत्यादि जैसे नए उपायों के लिए 211.20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से 11.12 करोड़ रुपए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं।

12.10 उत्तर प्रदेश के लिए परिवार नियोजन सेवा परियोजना का नवीकरण: 10 वर्ष की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल प्रजनन दर को 5.4 से घटा कर 4.0 करने और दम्पति सुरक्षा दर को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए यू.एस.एड. की 10 वर्षीय परियोजना के लिए एक परियोजना करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस स्कीम को एक करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ 1992-93 में आरम्भ किया गया था। इस योजना के लिए 2003-2004 के ब.अ. में 40.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

13. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त व्यवस्था: परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए 493.00 करोड़ रुपए की एकमुश्त व्यवस्था की गयी है।

14. सहायता सामग्री और उपस्कर: ये अनुमान यूनीसेफ, जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम और टीकाकरण हेतु प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान से संबंधित है।

15. विदेशी सहायता-प्राप्त घटक: परिवार कल्याण कार्यक्रमों की विभिन्न योजनाओं के विदेशी सहायता-प्राप्त घटक के लिए 1298.90 करोड़ रुपए का निम्नानुसार प्रावधान करने का प्रस्ताव है:

1. आरसीएच कार्यक्रम जिसमें पोलियो का उन्मूलन और टीकाकरण कार्यक्रम का सुदुर्द्धीकरण शामिल है (1204.90 करोड़ रुपए)
2. क्षेत्र विकास कार्यक्रम:
 - (क) क्षेत्र परियोजनाएं (आईपीपी परियोजनाएं 50.00 करोड़ रुपए)
 - (ख) सामाजिक विपणन - क्षेत्र परियोजनाएं (4.00 करोड़ रुपए)
3. यूएसएड से सहायता-प्राप्त क्षेत्र परियोजना (एसआईएफपीएसए) 40.00 करोड़ रुपए।